

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 फरवरी 2014—माघ 15, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2014

सूचना

क्र. एफ 22-22-2013-आठ.—संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 और धारा 211 को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जो कि उससे प्रभावित हो सकते हों, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाता है कि मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन के उक्त प्रारूप पर इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, कमरा नं. 448, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 55-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“55-क. विनिर्दिष्ट नम्बर का आवंटन.—

- (1) आवेदक मध्यप्रदेश राज्य में वेब आधारित ऑनलाईन प्रक्रिया तथा/ या वेब आधारित डीलर प्वाइंट नामांकन प्रक्रिया का उपयोग कर सकेंगे. इस प्रयोजन के लिए आवेदक से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था या कोई निकाय, जो यान के स्वामी के रूप में पंजीकृत हो.

- (2) वेब आधारित ऑनलाईन प्रणाली और / या वेब आधारित डीलर प्वाइंट नामांकन प्रणाली का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग के किसी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/ जिला परिवहन कार्यालय की समस्त नियमित श्रृंखलाओं के लिए इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पंजीयन नम्बर आरक्षित रहेंगे।

ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया :---

- (क) प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों / क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों /सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों / जिला परिवहन कार्यालयों में इस अधिसूचना में नीचे वर्णित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रचलित समस्त श्रृंखलाओं के पंजीयन नम्बर वेब आधारित ऑनलाइन नीलामी प्रणाली का उपयोग करते हुए ऐसे पंजीयन नम्बर के लिए अधिकतम नीलामी बोली पर आरक्षित रखे जाएंगे।
- (ख) वेब आधारित ऑनलाइन नीलामी प्रणाली परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनियमित की जाएगी। किसी विवाद की दशा में परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश का विनिश्चय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
- (ग) नीलामी प्रक्रिया के लिए नीचे दी गई सारणी में वर्णित विनिर्दिष्ट नम्बर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को यान की वर्गीकृत श्रेणी के लिए सारणी में विनिर्दिष्ट आधार मूल्य का भुगतान ऑनलाइन मोड द्वारा वेब आधारित नीलामी प्रणाली का उपयोग करते हुए करना होगा, जिससे वह ऐसी वेब आधारित ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेगा।
- (घ) वेब आधारित ऑनलाईन नीलामी प्रणाली द्वारा पंजीयन नम्बर का आरक्षण यान के स्वामी के नाम से किया जाएगा।
- (ङ) वेब आधारित ऑनलाइन नीलामी प्रणाली द्वारा आरक्षित पंजीयन नम्बर हस्तांतरणीय नहीं होगा।
- (च) वेब आधारित ऑनलाइन नीलामी प्रणाली के अधीन केवल अधिकतम बोली लगाने वाले के लिए ही पंजीयन नम्बर आरक्षित रहेगा।
- (छ) नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् अधिकतम बोली लगाने वाले को अंतिम बोली की राशि का अर्थात् सफल बोली की राशि में से पहले से ही संदत्त कर दिए गए आधार मूल्य को कम करते हुए शेष राशि का वेब आधारित ऑनलाइन नीलामी प्रणाली के अधीन उपलब्ध कराए गए भुगतान गेटवे का उपयोग करते हुए भुगतान करने के लिए सफल बोली की घोषणा की तारीख से 7 दिन का समय दिया जाएगा। यदि बोली लगाने वाला उसकी बोली की राशि जमा करने में असफल रहता है तो ऐसा पंजीयन नम्बर आगामी नीलामी चक्र में आरक्षण के लिए खुला रहेगा और नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए भुगतान किया गया आधार मूल्य परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समपट्ट कर लिया जाएगा।
- (ज) सफल बोली लगाने वाले को, सफल बोली की घोषणा की तारीख से 60 दिन के भीतर संबंधित पंजीयन प्राधिकारी के पास यान का पंजीयन कराना होगा। इसमें असफल रहने पर नीलामी स्वतः निरस्त हो जाएगी और ऐसा पंजीयन नम्बर वेब आधारित ऑनलाइन नीलामी प्रणाली द्वारा पुनः नीलामी के प्रयोजन के लिए खुला रहेगा। आरक्षित पंजीयन नम्बर, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 और मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के उपबंधों तथा मोटरयान के पंजीयन के लिए उसके अधीन बनाए गए विभिन्न नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए यान को प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा।
- (झ) यदि आवश्यक हो तो मध्यप्रदेश राज्य के लिए वेब आधारित नीलामी प्रणाली को वेब आधारित डीलर प्वाइंट नामांकन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जा सकेगा।
- (ञ) नीलाम किया गया पंजीयन नम्बर किसी अन्य यान के लिए न तो हस्तांतरण किया जा सकेगा और न यान के स्वामी द्वारा पंजीयन नम्बर निरस्त किए जाते समय अपने पास रखा जा सकेगा।
- (ट) इस प्रक्रिया में सम्मिलित सभी असफल बोली लगाने वालों को उनके द्वारा आधार राशि के रूप में जमा की गई संपूर्ण राशि उनके अपने-अपने बैंक खातों में स्वतः वापस हो जाएगी।

सारणी

अनु- क्रमांक	समस्त श्रृंखलाओं के लिए ऑनलाइन पंजीयन नम्बर	दो तथा तीन पहिया वाहनों के लिए आधार मूल्य	दो तथा तीन पहिया वाहनों से भिन्न समस्त यानों के लिए आधार मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0001	20,000.00	1,00,000.00
2	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0736	15,000.00	50,000.00
3	0010, 001, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, 0111, 0123, 0222, 0234, 0333, 0345, 0444, 0456, 0555, 0567, 0666, 0678, 0777, 0789, 0888, 0999, 1000, 1111, 1234, 2000, 2222, 2345, 3000, 3333, 3456, 4000, 4444, 4567, 5000, 5555, 5678, 6000, 6666, 6789, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9090, 9999.	7,000.00	25,000.00
4	0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0990, 101, 108, 0110, 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808, 909, 1001, 1008, 2002, 3003, 4004, 5005, 6006, 7007, 8008, 9009, इस सारणी में विनिर्दिष्ट से भिन्न प्रत्येक श्रृंखला में अंतिम दो अंक 00 हों उदाहरण के लिए 500, 1100, 3200, 5100, 6600, 8300, 9800 इत्यादि.		

(3) ऊपर उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट नम्बरों के अतिरिक्त किसी विनिर्दिष्ट पंजीयन नम्बर के आरक्षण के लिए यान का स्वामी उस क्षेत्र के परिवहन प्राधिकारी के पास जहां कि उसके यान का पंजीयन होना है, प्रचलित श्रृंखला में उपलब्ध पंजीयन नम्बर के लिए वेब आधारित डीलर प्लॉट नामांकन प्रणाली का उपयोग करते हुए आवेदन कर सकेगा.

नीलामी के लिए विनिर्दिष्ट से भिन्न पंजीयन नम्बरों के वेब आधारित डीलर प्लॉट नामांकन प्रणाली के उपयोग से आरक्षण के प्रक्रिया :—

(क) उपरोक्त सारणी में नीलामी प्रक्रिया के लिए विनिर्दिष्ट नम्बरों से भिन्न पसंद के पंजीयन नम्बरों के आरक्षण के लिए यान के स्वामी को उस परिवहन प्राधिकारी की अधिकारिता में, जहां कि यान का पंजीयन होना है, प्रचलित श्रृंखला में से उपलब्ध कोई पंजीयन नम्बर चुनने का अधिकार होगा.

- (ख) इस प्रक्रिया के अधीन, प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/ जिला परिवहन कार्यालय में प्रचलित श्रृंखला में उपलब्ध ऐसे समस्त पंजीयन नम्बरों को वेब आधारित डीलर प्वाइंट नामांकन प्रणाली के अधीन प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें दो तथा तीन पहिया वाहनों के प्रत्येक पंजीयन नम्बर के लिए आवेदक को 5,000 रुपये और दो तथा तीन पहिया वाहनों से अन्यथा किसी श्रेणी के लिए प्रत्येक पंजीयन नम्बर के लिए 10,000 रुपए का भुगतान करना होगा.
- (ग) इस नियम के अधीन पंजीयन नम्बर के आरक्षण के लिए, ऐसा पंजीयन नम्बर प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक को यान की वांछित श्रेणी के लिए ऊपर खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट मूल्य का भुगतान वेब आधारित डीलर प्वाइंट नामांकन प्रणाली के माध्यम से पेमेन्ट गेट वे द्वारा यान के नामांकन कर के भुगतान, पंजीयन शुल्क और/ या किन्हीं अन्य लागू प्रभारों के साथ करना होगा.
- (घ) इस प्रक्रिया के अधीन आरक्षित पंजीयन नम्बर, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1888 का 59) तथा मोटरयान के पंजीयन के लिए उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए यान को प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा.
- (ङ) आरक्षित पंजीयन नम्बर किसी अन्य यान के लिए हस्तांतरणीय नहीं होगा और न ही पंजीयन नम्बर को निरस्त किये जाते समय यान का स्वामी उसे अपने पास रख सकेगा.

No. F-22-22-2013-VIII.—The following draft of amendment which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 65 and 211 of The Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212, of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules, 1994, shall be taken in to consideration after expiry of thirty days from the date of its publication of this notice in the “Madhya Pradesh Gazette”.

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the Principal Secretary, Transport Department, Government of Madhya Pradesh, Room No. 448, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. For rule 55-A, the following rule shall be substituted, namely :—

“55-A. Assignment of specified registration mark.—

- (1) Applicant may use Web based Online Auction System and / or Web based Dealer’s Point Enrollment System in the State of Madhya Pradesh. For this purpose the applicant would mean any individual, company, institution or any other body, which is to be registered as Vehicle Owner.
- (2) Specified registration mark shall be reserved under this rule for all regular series of any Regional Transport Office /Assistant Regional Transport Office / District Transport Office of Transport Department of Madhya Pradesh using Web based Online Auction System and /or Web based Dealer’s Point Enrollment System.

Process of Online Auction :—

- (a) Registration numbers specified under prevalent series at each Transport Offices Regional Transport Office /Assistant Regional Transport Office / District Transport Office of the State in Table mentioned below in this notification, shall be reserved through auction using Web based Online Auction System at the highest bid for such a registration number.

- (b) Web based Online Auction System shall be regulated by the Transport Department, Government of Madhya Pradesh. In case of any dispute, the decision of the Transport Commissioner, Madhya Pradesh shall be final and acceptable to all.
- (c) For the Auction process, applicant desirous of obtaining such registration number specified in Table mentioned below shall be required to pay the base price specified in the Table for the desired category of vehicle through online mode using Web based Online Auction System, which shall enable him to participate in such Web based Online Auction process.
- (d) Reservation of registration number through Web based Online Auction System shall be in the name of the owner of the Vehicle.
- (e) Registration number reserved through Web based Online Auction System shall not be transferable.
- (f) Under the Web based Online Auction System, registration number shall be reserved for the highest bidder only.
- (g) After the completion of Auction process, the highest bidder would be given 7 days from the date of declaration of successful bid to deposit his final bid amount that is the winning bid amount minus the base price already paid, using the payment gateway provided under Web based Online Auction System. If the bidder fails to deposit his bid amount, such registration mark shall be released for reservation in the next auction cycle and the base price paid for participation under the auction process shall be forfeited by the Transport Department, Government of Madhya Pradesh.
- (h) The successful bidder would be required to register the vehicle with the concerned Registering Authority within 60 days from the date of declaration of successful bid. Failure so to do would result in automatic cancellation of the bid and such registration mark shall be released again for the purpose of auction using the Web based Online Auction System. The reserved registration mark shall be assigned on presentation of the vehicle complying with the requirement as of various Rules of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and the rules made thereunder for registration of a Motor Vehicle.
- (i) If required, the Web based Online Auction System may be integrated with Web based Dealer Point Enrollment System for the State of Madhya Pradesh.
- (j) The auctioned registration mark shall neither be transferable to any other vehicle nor could be retained by the Vehicle Owner at the time of cancellation of registration mark.
- (k) For all the unsuccessful bidders participating in this process, the entire amount deposited by them as base amount shall be refunded automatically in their respective bank account.

TABLE

S.No.	Online Auction Registration Numbers For All Series	Base price for Two and Three Wheeler	Base price for all vehicles other than two and Three Wheeler
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0001	20,000.00	1,00,000.00
2	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0786	15,000.00	50,000.00

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, 0111, 0123, 0222, 0234, 0333, 0345, 0444, 0456, 0555, 0567, 0666, 0678, 0777, 0789, 0888, 0999, 1000, 1111, 1234, 2000, 2222, 2345, 3000, 3333, 3456, 4000, 4444, 4567, 5000, 5555, 5678, 6000, 6666, 6789, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9090, 9999.	7,000.00	25,000.00
4.	0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 101, 108, 0110, 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808, 909, 1001, 1008, 2002, 3003, 4004, 5005, 6006, 7007, 8008, 9009, last two digits is 00 in each series other than specified in this table for example 500, 1100, 3200, 5100, 6600, 8300, 9800 etc.	5,000.00	15,000.00

- (3) For reservation of specified registration mark in addition to the marks specified under sub-rule (2) above, vehicle owner may apply for any specified registration mark available in the prevalent series with the transport authority of the area where his vehicle is to be registered using web based dealer point enrollment system.

Process for Reservation of Registration Marks other than specified for Auction using Web based Dealer Point Enrollment System :—

- (a) For reservation of choice registration mark other than numbers specified for auction process in the Table above, Vehicle Owner shall have the right to choose any such available registration mark from prevalent series under the jurisdiction of the Transport Authority, where the Vehicle is to be registered.
- (b) Under this process, all such available registration marks in the prevalent series for each Regional Transport Office / Assistant Regional Transport Office / District Transport Office shall be displayed under the Web based Dealer Point Enrollment System, wherein the applicant shall be required to pay Rs. 5,000 for each registration mark for Two and Three Wheeler and Rs. 10,000 for each registration mark for any category other than Two and Three Wheeler.
- (c) For reservation of registration mark under this rule, the applicant desirous of obtaining such registration mark shall be required to pay the price specified in clause (b) above for the desired category of vehicle using online payment gateway in Web based Dealer Point Enrollment System along with the enrollment of vehicle, payment of tax, registration fees and / or any other applicable charges.
- (d) The reserved registration mark under this process shall be assigned on presentation of the vehicle complying with the requirement of rules laid down in of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and the provisions of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and the rules made thereunder for registration of a motor vehicle.
- (e) The reserved registration mark would neither be transferable to any other vehicle nor could it be retained by the Vehicle Owner at the time of cancellation of registration mark.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख सचिव.